



# उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

**U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED**

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

CIN: U40101UP2004SGC028687

संख्या: 740-पारे०अनु०-०४ / पाइकाले / 2021-(74) / 2013

दिनांक : 02 सितम्बर, 2021

निदेशक  
पेशन निदेशालय,  
इन्दिरा भवन,  
लखनऊ

निदेशक,  
कोषागार,  
कोषागार निदेशालय,  
लखनऊ

निदेशक  
वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय,  
जवाहर भवन,  
लखनऊ

**विषय:-** उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि�० के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित पेशन/पारिवारिक पेंशन पर दिनांक 01 जुलाई, 2021 से महंगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में।  
महोदय,

उ०प्र० राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेशनरों को उत्तर प्रदेश वेतन समिति 2016 की संस्तुतियों के अधीन निर्गत शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार संशोधित/स्वीकृत पेंशन/पारिवारिक पेशन पर दिनांक 01 जुलाई, 2021 से महंगाई राहत विद्यमान 17 प्रतिशत की दर से बढ़ा कर 28 प्रतिशत किये जाने की स्वीकृति वित्त (सामान्य) अनुभाग-3, उ०प्र० शासन लखनऊ के शासनादेश सख्त्या-6/2021/22099/1401/2020-वित्त अनुभाग-22-वित्त विभाग, दिनांक 24.08.2021 द्वारा प्रदान की गयी है। राज्य सरकार के पेशनरों को अनुमन्य महंगाई राहत में उपर्युक्त बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप पेंशन पर अनुमन्य महंगाई राहत की दर दिनांक 01 जुलाई, 2021 से 17 प्रतिशत से बढ़कर 28 प्रतिशत हो गई है।

उक्त के अनुक्रम में उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि�० के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01 जनवरी, 2016 से देय पुनरीक्षित पेशन/पारिवारिक पेंशन पर महंगाई राहत की दरें उपर्युक्त शासनादेश की अनुरूपता में निम्नवत् अनुमन्य कराये जाने की सहर्ष स्वीकृति अधोलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

क्रम संख्या	महंगाई राहत अनुमन्यता की तिथि	महंगाई राहत की देय कुल दर
1.	01 जुलाई, 2021	28 प्रतिशत

- 2— महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये के आधे से कम आगणित होगी उसे नजर अंदाज कर दिया जायेगा, जबकि आधे अथवा उसके अधिक को पूर्ण रूपये के रूप में मान लिया जायेगा।
- 3— दिनांक 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित अनन्तिम पेंशन पर भी उपर्युक्तानुसार महंगाई राहत अनुमन्य होगी।
- 4— पूर्ववर्ती परिषद के कार्यालय ज्ञाप सख्त्या-1054-डल्लू०सी०/रा०वि०प०(औ०स०/उन्नीस)-14(23)एफ/85, दिनांक 16 जून, 1988) निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर उक्त अतिरिक्त राहत के भुगतान के लिये उप महाप्रबन्धक(लेखा) / उप मुख्य लेखाधिकारी/लेखाधिकारी के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः अधिकारियों/राजकीय कोषागार द्वारा इस कार्यालय ज्ञाप के अनुसार महंगाई राहत का भुगतान किया जायेगा।
- 5— महंगाई राहत की स्वीकृति हेतु पूर्व में निर्गत आदेशों में उल्लिखित अन्य शर्त एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

मवदीय,

(मुकुल सोनकर)  
संयुक्त सचिव (पारेषण-प्रथम)

(क्रमशः.....2)

(2)

संख्या : 740 (१) - पारेऽनु०-०४ / पाट्राकालि / 21-७४ / 2013 / तददिनांक :

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ०प्र०।
4. समस्त निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक / महाप्रबन्धक / उपमहाप्रबन्धक / मुख्य अभियन्ता / अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०।
7. समस्त जिलाकोषाधिकारी, उ०प्र०।
8. सचिव, पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०।
10. समस्त उपमहाप्रबन्धक / उपमुख्य लेखाधिकारी / क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०।
11. वरिष्ठ लेखाधिकारी / लेखाधिकारी (पैंशन), लखनऊ।
12. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
13. अधिशासी अभियन्ता (सं०) निदेशक (आपरेशन), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ कों  
ट्रान्समिशन की वेब-साइट पर अपलोड करने हेतु।

  
(मुकुल सोनकर)  
संयुक्त सचिव (पारेषण-प्रथम)